

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 1976/पौष 12, 1897

No. 5] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 1976/PAUSA 12, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd January 1976

S.O. 11(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Heavy Industry) No. S.O. 27(E) dated the 13th January, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into, given or made, as the case may be, before the 7th May, 1973, to which the industrial undertaking known as M/s. Arthur Butler and Company (Mozufferpore) Limited, Muzaffarpur (Bihar) or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company and in force immediately before the date of issue of the said Order shall remain suspended upto the 12th January, 1976, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 12th January, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended further upto the 12th January, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 12th January, 1977.

[No. F. 25/14/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय

(उद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1976

का० आ० 11 (अ). -- केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का० आ० 27 (अ), तारीख 13 जनवरी, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषणा की थी कि 7 मई, 1973 के पूर्व, यथास्थिति, दी गई या की गई, और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख के टीक पूर्व प्रयुक्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जिसकी मेसर्स आर्थर बटलर एंड कंपनी (मोजुफ्फरपुर) लिमिटेड मोजुफ्फरपुर (बिहार) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी पक्षकार है अथवा जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 12 जनवरी, 1976 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व 12 जनवरी, 1976 तक निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 12 जनवरी, 1977 तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 12 जनवरी, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 25/14/72- सी यू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।